



3612

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP03409330222957V
Certificate Issued Date	: 02-Sep-2023 11:24 AM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14365804/ ZAMANIA/ UP-GZP
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1436580402446680519024V
Purchased by	: ADHYAKSH SITARAM MEMORIAL TRUST BAGHARI ZAMANIA
Description of Document	: Article 4 Affidavit
Property Description	: AFFIDAVIT
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: SACHIV PRAVIDHIK SHIKSHA PARISAD U P LUCKNOW
Second Party	: ADHYAKSH SITARAM MEMORIAL TRUST BAGHARI ZAMANIA
Stamp Duty Paid By	: ADHYAKSH SITARAM MEMORIAL TRUST BAGHARI ZAMANIA
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

2100

Entered to Register  
At Serial No. 3468  
Dated 02/09/23



Signature  
ACC Name Jay Prakash Prajapati  
ACC Code Up14365804  
ACC ADDRESS: TAHSIL ZAMANIA  
MOBILE NO: 9851174413  
LICENCE NO. 33  
DISTRICT- GHAZIPUR (U.P)

Please verify or type below this QR

**NOTARY**  
TEH. ZAMANIA DIST. GHAZIPUR

**NOTARY**  
GOVT OF IND  
02.09.23

(प्रारूप-"अ")

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप

सिताराम शर्मा

सचिव-डिप्लोमा कॉलेज

हम.....(नाम अध्यक्ष).....एवं.....(नाम सचिव).....कमशः अध्यक्ष एवं

सचिव.....(सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता).....शपथपूर्वक निम्नवत् बयान

करते हैं - सिताराम शर्मा ट्रस्ट वध्वरी पमानिया गा.पी.पु.

आदर्श कॉलेज आफ फार्मैसी

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा.....(संस्था का नाम एवं पता).....श्री. जे. ए. पुर धा. नामक डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना गा.पी.पु. प्रस्तावित है।

2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम.....(पता जहां पर भूमि स्थित है)..... पल्लव (डी. ए. ए. ए.) में गाटा संख्या 83/2, 84/2, 85/1, एवं..... रकबा कमशः 0.570, 0.492, 0.915, एवं..... हेक्टेयर (कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर) भूमि है। 0.043, 0.308, 0.061

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 83/2, 84/2, 85/1, 86/1, 87, 88/2 एवं..... रकबा कमशः 0.810 हेक्टेयर एवं..... हेक्टेयर (कुल रकबा 0.810 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 20.7.2020 द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मैसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।



8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति प्रालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० सचिव

राधाकृष्ण

शशिधर शर्मा  
ह० अध्यक्ष

